16

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

प्रेषित:-1. जिला कलेक्टर,
जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, नागौर,
पाली, बीकानेर एवं चूरू ।
2. संभागीय आयुक्त, जोधपुर/बीकानेर/अजमेर

क्रमांक: प0 6(6)राज-6/91/7 जयपुर, दिनांक: 27.8.2001

परिपत्र

विषय:- मरूस्थलीय जिलों में आवंटन एवं नियमन पर लगे प्रतिबंध में शिथिलता के सम्बन्ध में ।

-x-

राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक प0 6(9)राज-6/76 दि0 21.4.76 के अन्तर्गत मरूस्थलीय 8 जिलों (जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, नागौर, पाली, बीकानेर एवं चूरू) में एक हैक्टेयर से अधिक राजकीय कृषि भूमि के भूखंडो को कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन एवं नियमन पर प्रतिबंध लगाया गया है । इस प्रतिबंध में राज्य सरकार ने अपने पत्र क्रमांक प. 6(9)राज-6/76 दि0 4-2-78 के द्वारा अन्त्योदय परिवारों के लिये शिथिलता प्रदान की । राज0 भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन) नियम, 1970 के नियम 20 में कृषि भूमि पर राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 से संबंधित अतिक्रमियों को भूमि आवंटन का प्रावधान है जिसके अन्तर्गत समय-समय पर अतिक्रमियों के अतिक्रमणों को नियमन किए जाने हेतु निर्देश राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए हैं । अधिसूचना क्रमांक प0 6(7)राज-4/77/12 दि0 1.4.91 के अन्तर्गत 15.7.84 या उसके पूर्व गैर मुमकिन भूमि पर किए गए अतिक्रमणों को नियमन किए जाने के निर्देश दिए गए थे किंतु यह अधिसूचना उपरोक्त 8 मरूस्थलीय जिलों के लिए लागू नहीं की गई थी । इसके अतिरिक्त चारागाह भूमि पर पत्र क्रमांक प06(21) राज-4/83/5 दिनांक 2.2.83 के अन्तर्गत यह निर्देश दिए गए थे कि दि0 1.1.70 से पूर्व से चारागाह भूमि पर किए गए अतिक्रमण को नियमित कर दिया जाए किन्तु यह परिपत्र भी इन उक्त 8 मरूस्थलीय जिलों पर लागू नहीं किया गया था । इसके अतिरिक्त आदेश सं0 प0 6(7)राज-4/77/6 दि0 1.4.91 के द्वारा सिवायवक भूमि पर दि0 15.7.84 तक के अतिक्रमणों को नियमित किए जाने के

निर्देश जारी किए गए थे किन्तु यह प्रावधान भी उक्त 8 मरूस्थलीय जिलों पर लागू नहीं किया गया । यह सभी प्रतिबंध अन्त्योदय योजना के लाभान्वितों को नियमन का लाभ दिए जाने तथा एक हैक्टेयर से कम के भूखंड के मामलों में लागू नहीं किये गए थे । राज्य सरकार के उक्त पत्र क्रमांक प0 6(9)राज-6/76 दिनांक 21.4.76 में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त आठ मरूस्थलीय जिलों में स्थित राजकीय निवायवक भूमि, गैर मुमकिन भूमि एवं चारागाह भूमि के कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन करने तथा नियमन किए जाने के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही करने के निर्देश दिए जाते है:-

1. केन्द्रीय रूक्ष क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी), जोधपुर के मृदा सर्वेक्षण मैन्यूअल (Soil survey Manual) के अनुसार भूमि की 8 श्रेणियां मृदा वर्गीकरण के परिणामस्वरूप निर्धारित की गई हैं । इन 8 श्रेणियों में से श्रेणी सं0 1,2,3,4 तक की श्रेणियों का आवंटन एवं नियमन किया जावेगा जिसके लिए चिन्हीकरण जिला कलैक्टर की देख-रेख में संबंधित तहसीलदार द्वारा उक्त संस्थान के सहयोग से किया जाएगा ।

2. चिन्हीकरण के उपरांत ऐसी सूची तहसीलदार द्वारा जिला कलैक्टर को भेजी जाएगी ।

3. जिला कलैक्टर की अध्यक्षता में प्रत्येक मरूस्थलीय जिलों में एक समिति का गठन किया जाता है, जिसका नाम "अलाटमेंट क्लीयरेंस कमेटी" होगा, इस समिति में वन, काजरी, भू-जल, पशुपालन, कृषि आदि विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी होंगे । इसके साथ इस समिति से संबंधित पंचायत समिति जिसमें भूमि स्थित है के स्थानीय क्षेत्रीय विधायक, प्रधान एवं संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच सम्मिलित होंगे ।

यह समिति चिन्हित भूमि को आवंटन हेतु अनुमोदन करेगी । भूमि का अनुमोदन करते समय समिति यह देखेगी कि पर्याप्त मात्रा में सार्वजनिक कार्यों/चारागाह के लिए भूमि आरक्षित कर ली है । इस हेतु प्रथम आरक्षण श्रेणी 5 से 8 की भूमियों में से किया जावेगा । अगर वहां भूमि उपलब्ध नहीं हो तो उपरोक्त 1 से 4 श्रेणियों में से आरक्षण किया जाएगा । राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम, 1970 के अन्तर्गत आवंटन एवं नियमन के संबंध में जारी अधिसूचना सं0 प.6(7) राज-4/77/12 दिनांक 1.4.91 तथा आदेश क्रमांक प. 6(7)राज-4/77/6 दि0 1.4.91 एवं परिपत्र सं0 प. 6(21)राज-4/83/5 दि0 2.2.83 के अन्तर्गत उक्त आठ मरूस्थलीय जिलों में लागू किए गए आवंटन/नियमन

संबंधी प्रतिबंध जो इस विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक 21.4.76 के संदर्भ में लगाए गए थे को हटाया जाता है। यह शिथिलन भूमि के वर्गीकरण में से केवल 1 से 4 तक की श्रेणी की भूमियों पर लागू होगा। इन परिपत्रों में दी गई अन्य शर्तें यथावत लागू रहेगी।

5. राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के अन्तर्गत विहित प्रतिबंध, शर्तें व प्रक्रिया यथावत लागू रहेगी। चारागाह, वन, ओरण, तालाब, जोहड, पायतन, पहाड, मगरा, भाखर आदि किस्म की भूमियों का आवंटन/नियमितिकरण सामान्यत: नहीं किया जाएगा, किन्तु राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 6(7)राज-4/77/12 दिनांक 1.4.91 के अन्तर्गत राजकीय गैर मुमकिन भूमि पर भूमिहीन कृषकों द्वारा किये गये सिर्फ कृषि प्रयोजनार्थ अतिक्रमण जो कि दि0 15.7.84 या उसके पूर्व के हो उन्हीं निर्बन्धनों एवं शर्तों पर नियमित कर दिया जाए जो कि आदेश क्रमांक प06(7) राज-4/77/6 दि0 1.4.91 में विहित है।

6. भूमि आवंटन राजस्थान भू-राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के प्रावधानों के अंतर्गत होगा। इन नियमों के नियम 12 के अंतर्गत 10 एकड़ तक ही भूमि का आवंटन किया जा सकेगा।

उक्त नियमों के नियम 20 में 15 बीघा तक भूमि का नियमन किया जा सकेगा। जिन मामलों में अतिक्रमित भूमि 15 बीघा से अधिक होगी, उन प्रकरणों में 10 बीघा तक अतिरिक्त भूमि को कामलन नियमन किया जाएगा जिसके लिए नियमों में संशोधन की कार्यवाही पृथक से की जा रही है। नियम 12 के प्रथम परन्तुक एवं नियम 20 के उप नियम 1 में अंकित 75 बीघा की सीमा हटाये जाने हेतु संशोधन किया जा रहा है।

(जी0एस0 संधु)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- निदेशक, केन्द्रीय रूक्ष क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी), जोधपुर।
2- विशिष्ट शासन सचिव, राजस्व विभाग।
3- उप शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-1, 3 एवं उपनिवेशन) विभाग
4- रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव,
राजस्व विभाग